प्राथमिकता

संख्याः 931/69-1-98-1 (एस.जे.)/97

प्रेषकः,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र. लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 30 मई, 1998

नगरीय रोज़गार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग

विषय : सूडा/डूडा/सरकारी संस्थान तथा स्वयं सेवी/गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोज़गार हेतु प्राथमिकता देना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार सृजन के लिए शासनादेश संख्या–918/69-1-98-01 (एस.जे.)/97 दिनांक 27 मई, 1998 द्वारा एक बहुआयामी निर्देशों युक्त शासनादेश निर्गत किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना है कि चूँकि लघु उद्यमों के माध्यम से स्वरोज़गार पाने के लिए विभिन्न स्वयं सेवी/गैर सरकारी कार्यदायी संस्थाओं/सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं, सूडा/डूडा द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर लोगों को लाभान्वित किया जाता है। अतः उक्त संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को विभाग के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार सृजन कराने में प्राथमिकता दी जाये। उक्त आदेशों का परिपालन अपने स्तर से जनपदों के लिए किया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(सुबोध नाथ झा)
प्रमुख सचिव